महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना नियम, 2015

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम लागू होना तथा प्रारंभ
2. योजना का स्वरूप
3. पात्रता
4. योजना का लाभ
5. योजना का क्रियान्वयन
6. व्यय
7. नियमों में संशोधन एवं परिवर्धन

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना नियम, 2015

क्र. एफ-23-11-2015-पच्चीस- 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रदेश के अनुसूचित जाति के प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न पात्रता परीक्षाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता प्राप्त करने और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के उपरांत सम्मानित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम लागू होना तथा प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना नियम, 2015 है.
(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **योजना का स्वरूप.** -निम्नलिखित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना होगा :-
(1) आई. आई. टी.
(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)
(3) क्लेट के माध्यम से एन. एल. आई. यू
(4) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए)

MAP IT (MP Code)

उपरोक्तानुसार संस्थानों में प्रवेश लेने पर रु. 50,000/- की प्रोत्साहन राशि अभ्यर्थी के माता-पिता/पालकों/स्वयं के समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए समय-समय पर लागू अधिकतम आय सीमा के अंतर्गत होने पर देय होगी.

www.code.mp.gov.in

अभ्यर्थी के माता पिता/पालकों/स्वयं के समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 3.00 लाख से अधिक होने पर आई. आई.टी. 'एन.एल.आई.यू/ एम्स में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों को 25,000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी.

जेईई प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एन.आई.टी. में प्रवेश लेने पर रु. 25, 000 की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जिस हेतु आय सीमा का बंधन नहीं होगा.

3. **पात्रता:** (क) प्रवेश की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं संस्थान में प्रवेश लेने की प्रमाणित जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
(ख) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी और राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित

जाति वर्ग का होना आवश्यक होगा.

4. **योजना का लाभ -** समस्त सफल पात्र अभ्यर्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.

5. **योजना का क्रियान्वयन** - योजना का क्रियान्वयन आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा किया जायेगा.

6. **व्यय** - योजना का व्यय सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से किया जायेगा.

7. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्धन** - राज्य शासन में नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन के अधिकार वेष्टित होंगें.

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in